2025:CGHC:41863

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 443/2022

कीर्ति कुमार शर्मा, पिता रामावतार, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम– बरेला, थाना– जरहागांव, जिला – मुंगेली, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना– अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, मुंगेली, जिला– मुंगेली, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

बोर्ड पर निर्णय

19.08.2025

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया हैं कि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील में अंतरिम अनुतोष प्रदान करने हेतु एक आवेदन अन्तर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1/2022 प्रस्तुत किया है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) पॉक्सो अधिनियम, मुंगेली, जिला मुंगेली द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 05/2020 में दिनांक 02.03.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी एक शिक्षक है और इस अपील के स्वीकार होने की प्रबल संभावना है; साथ ही विचारण के दौरान उसे निलंबित किया गया था और दोषसिद्धि के पश्चात आज दिनांक तक उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, एवं उसने अर्थदंड की राशि पूर्व में ही जमा कर दी है।

2. इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि अपीलार्थी शिक्षक है, न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील पर अंतिम बहस करने का विकल्प दिया, और पक्षकारों की सम्मति से, न्यायालय प्रकरण की अंतिम सुनवाई हेतु आगे बढ़ता है।

3. तदनुसार, अन्तर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1/2022 को अस्वीकार किया जाता है।

4. यह दाण्डिक अपील, विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) पॉक्सो अधिनियम, मुंगेली, जिला मुंगेली द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 05/2020 में दिनांक 02.03.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसमें अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (एतस्मिन पश्चात जिसे "पॉक्सो" कहा गया है) की धारा 12 (दो बार) के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया है और उसे 02 वर्ष 01 माह एवं 06 दिन के कारावास तथा 2500/– रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक बार 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया है ।

5. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 28.03.2019 को, शिकायतकर्ता सुश्री प्रतिमा मंडलोई, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था कि वे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (एल.बी.), बरेला के शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा के विरुद्ध छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों के संबंध में जांच करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उक्त निर्देश के अनुपालन में, शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.03.2019 को विद्यालय का दौरा किया और शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में जांच संचालित की। जांच के दौरान, शिक्षकों और छात्रों के कथन लिखित रूप में दर्ज किए गए। यह पाया गया कि यद्यपि कीर्ति कुमार शर्मा की नियुक्ति गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए की गई थी, फिर भी वह अक्सर बिना किसी अधिकार के कक्षा 7 वीं में प्रवेश करता था और विज्ञान पढ़ाता था। विज्ञान की कक्षाओं के दौरान, वह छात्राओं के शरीर के विभिन्न अंगों, जिनमें उनकी रीढ़ की हड्डी और सीना शामिल हैं, को स्पर्श करता था। वह छात्रों के सामने खुलेआम गुटखा और गुडाखू का सेवन भी करता था। इसके अतिरिक्त, जब छात्राएं शौचालय जाती थीं, तो वह उनके प्रति अपशब्दों और अश्लील भाषा का प्रयोग करता था।

7. चूंकि शिकायत सत्य पाई गई, इसलिए शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली को अग्रेषित की, और उसके पश्चात थाना जरहागांव में रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। इस रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354 व 354(क), तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 9 व 10; और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के अधीन प्रकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात, प्रकरण को विवेचना में लिया गया।

8. विवेचना के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित छात्राओं के कथन दर्ज किए गए। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया और जब्ती की कार्यवाही की गई। पीड़ितों और साक्षियों के कथनों को उनके द्वारा बताए गए कथनानुसार लिपिबद्ध किया गया। साक्षियों की उपस्थिति में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), मुंगेली के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354, 354(क); पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9 एवं 10; और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण को विचारण हेतु दिनांक 06.01.2021 को विधिवत इस न्यायालय में अंतरित किया गया।

9. अभियोजन के दस्तावेजों के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 509, 354, 354(क) (बार–बार); पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 10; और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के अधीन आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 24 साक्षियों का परीक्षण कराया और दस्तावेज (प्रदर्श पी–1 से पी–50 क्यू.सी.) प्रदर्शित किए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रतीत साक्ष्यों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है तथा उसे निर्णय की कण्डिका 3 में उल्लेखित अनुसार दंडित किया है। अतः,यह अपील प्रस्तुत की गई है।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय मनमाना, अवैध, विकृत, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू विधि के विपरीत है, और विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विवेचना करने में असफल रहा है और उन साक्ष्यों के कथनों का आकलन करने में भी असफल रहा है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि पीड़िता के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उनका आगे यह भी तर्क हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर उचित रुप से विचार न किए जाने के दोष से ग्रसित है। दोषसिद्धि एवं

दंडादेश का निर्णय केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। उनका तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में असफल रहा कि अभियोजन अपना प्रकरण सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं कर पाया था। अतः, यह दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

12. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि पीड़िताओं (अ.सा.–3) एवं (अ.सा.–9) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने शाला में अध्ययन के दौरान बालिकाओं और उनकी सहेलियों के शरीर एवं सीने को जानबूझकर स्पर्श किया था। यह सविनय तर्क किया गया है कि पीड़ित बालिकाओं द्वारा दिया गया विवरण अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा विधिवत समर्थित था, और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी को उचित रूप से दोषसिद्ध एवं दंडित किया है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

14. वर्तमान अपील में अवधारण हेतु जो विवाद्यक उद्भूत होता है वह यह है कि क्या पीड़ितों के परिसाक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है और क्या अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण को बिना किसी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

15. यह अवलोकन करना उचित है कि क्या लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरणों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल पीड़ितों के एकल परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में इस विवाद्यक पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पीड़ित का एकल परिसाक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो वह अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने का एकमात्र आधार हो सकता है और इस प्रकार के प्रकरणों में पीड़ित का विश्वसनीय साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है।

16. जहाँ तक अपराध के घटित होने की तिथि को पीड़ितों अ.सा.3 और अ.सा.9 की आयु का प्रश्न है, इस अप्रिय घटना के समय वे क्रमशः 12 वर्ष 08 माह और 12 वर्ष 01 माह के थे।

17. शिक्षिका लविना लूथर (अ.सा.–02) के परिसाक्ष्य और उनके द्वारा प्रस्तुत दाखिल पंजी (प्र.पी–50 सी) के अनुसार, पीड़िता (अ.सा.–03) की जन्म तिथि 20.06.2006 है, और चूंकि घटना 28.03.2019 से लगभग एक माह पूर्व हुई थी, इसलिए घटना के समय उक्त पीड़िता की आयु 12 वर्ष 8 माह थी। इसके अतिरिक्त, प्रवेश के समय, पीड़िता अ.सा.–03 और अ.सा.–09 दोनों ही अवयस्क थे।

18. पीड़िता (अ.सा.–03) ने कथन किया कि अभियुक्त, कीर्ति शर्मा, उसके विद्यालय में शिक्षक था और गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाता था। जब वह अपनी कक्षा में बैठी थी, तब अभियुक्त ने उसकी पीठ सहलाई। जब उसने घटना का विषय में अपने अभिभावक को बताया, तो उन्होंने उसे महिला शिक्षिकाओं के साथ पुलिस थाना जाने के लिए कहा। घटना के संबंध में, कुरैशी सर और बी.ई.ओ. मैडम विद्यालय आए थे और प्रकरण की पूछताछ की थी। इससे पूर्व, उसका कथन न्यायालय और बाल कल्याण समिति के समक्ष भी दर्ज किया गया था।

19. पीड़िता (अ.सा.–09) ने कथन किया कि जब वह 7 वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब लंच के दौरान, जब वे खेल रहे थे, अभियुक्त कीर्ति शर्मा उसके पास बैठ गया और उसके शरीर को स्पर्श करने लगा। उसने उससे कहा कि उसे यह पसंद नहीं है, किंतु अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि उसे यह पसंद है। इसके बाद वह कुरैशी सर के पास गई और उन्हें घटना की जानकारी दी, और अपनी शिक्षिका, माता–पिता और दादा–दादी को भी इसके बारे में बताया। पीड़िता ने आगे बताया कि लंच के दौरान, अपीलार्थी उसके करीब बैठ जाता था और उसके शरीर को स्पर्श करता था, जिससे वह असहज महसूस करती थी। जब उसने अपनी असहजता व्यक्त की, तो अभियुक्त ने कहा कि उसे अच्छा लगता है। उसने इस घटना की सूचना अपने शिक्षक कुरैशी, मैडम, माता–पिता और पुलिस को दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. दीपिका मिरी (अ.सा.–01) ने कथन किया है कि वह शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बरेला में कक्षा 8 वीं में पढ़ रही है। अपीलार्थी उसके विद्यालय में शिक्षक है और गणित तथा अंग्रेजी विषय पढ़ाता है। अपीलार्थी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं, जिनमें उसकी सहेलियाँ भी शामिल थीं, के शरीर और सीने को स्पर्श करता था, यद्यपि उसने उसे स्पर्श नहीं किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसका कथन दर्ज किया।

21. शिक्षिका उपासना गोपाल (अ.सा.–10) ने भी परिसाक्ष्य दिया कि विद्यालय के स्टाफ रूम में, 7 वीं कक्षा की छात्राओं ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी उन्हें अनुचित रुप से स्पर्श किया करता था, जिससे वे असहज महसूस करती थीं।

22. खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रतिभा मंडलोई (अ.सा.–15) ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार अभियुक्त के व्यवहार की जाँच की। जाँच में यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त छात्राओं के शरीर के

विभिन्न अंगों को स्पर्श करता था, अभद्र भाषा का प्रयोग करता था और छात्राओं के सामने गुटखा एवं गुड़ाखू का सेवन करता था। जाँच के निष्कर्ष मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए थे, जिसकी पुष्टि जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श पी–27) द्वारा की गई थी।

23. राय संदीप उर्फ दीनू विरुद्ध राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2012 (8) एससीसी 21 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "22. हमारे सुविचारित अभिमत में,उत्कृष्ट साक्षी अत्यंत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका कथन अकाट्य हो। ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करते समय न्यायालय उसे बिना किसी संकोच के उसके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की सामाजिक या अन्य स्थिति असंगत होगी और जो सुसंगत होगा, वह है उस साक्षी द्वारा दिए गए कथन की सत्यता। जो अधिक सुसंगत होगा, वह है प्रारंभ से अंत तक कथन की निरंतरता और एकरूपता, अर्थात् उस समय से जब साक्षी ने प्रारंभिक कथन दिया था और अंततः न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन तक। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के विवरण में कोई वाक्छल या टालमटोल नहीं होनी चाहिए। साक्षी कितनी भी लंबी और कठिन प्रतिपरीक्षण का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, संलिप्त व्यक्तियों और घटना के क्रम के संबंध में संदेह की कोई आशंका नहीं छुटनी चाहिए। ऐसे विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे की गई बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध करने के तरीके, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ का अभिमत के साथ सह–संबंध होना चाहिए। उक्त विवरण को हर दूसरे साक्षी के विवरण के साथ निरंतर मेल खाना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ अभियुक्त को कथित अपराध की दोषसिद्धि हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब किसी साक्षी का विवरण उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों पर खरा उतरता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसके विवरण को न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार कर सकता है और जिसके आधार पर अपराधी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्वरूप पर उक्त साक्षी का विवरण अक्षुण्ण रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियाँ, जैसे मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, महत्वपूर्ण विवरणों में उक्त विवरण से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय मुख्य विवरण का अवलंब लेते हुए अपराधी को आरोपित अपराध की दोषसिद्धि हेतु अन्य सहायक सामग्रियों की छानबीन कर सके।"

24. अलख आलोक श्रीवास्तव विरुद्ध भारत संघ व अन्य, (2018) 17 एससीसी 291 के प्रकरण के कण्डिकाएँ 14 व 20 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

"14. सर्वप्रथम, यह अधिकारपूर्वक कहा जाना चाहिए कि पॉक्सो अधिनियम एक लिंग आधारित विधान है। इस अधिनियम को विभिन्न अध्यायों और भागों में विभाजित किया गया है। अधिनियम का अध्याय II, जिसका शीर्षक "बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध**"** है, पाँच भागों में विभाजित है। उक्त अध्याय के भाग 'क' में दो धाराएं शामिल हैं, अर्थात् धारा 3 और धारा 4। धारा 3 "प्रवेशन लैंगिक हमला" के अपराध को परिभाषित करती है, जबकि धारा 4 उक्त अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है। इसी प्रकार, उक्त अध्याय का भाग 'ख', जिसका शीर्षक "गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड**"** है, में दो धाराएं शामिल हैं, अर्थात् धारा 5 और धारा 6। धारा 5 की विभिन्न उप–धाराएं विस्तार से उन विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों की श्रेणियों का उल्लेख करती हैं जहाँ प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का रूप ले लेता है। विशेष रूप से, धारा 5(ट) बालक की मानसिक स्थिरता पर बल देते हुए यह प्रावधान करती है कि जहाँ कोई अपराधी किसी बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध की श्रेणी में आएगा।"

"20. बालक के विषय में व्यक्त करते हुए, एम.सी. मेहता विरुद्ध तमिलनाडु राज्य (1996) 6 एससीसी 756 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था: "1. ... "बालक ही मनुष्य का जनक होता है।" एक वीर और ऊर्जावान मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है कि बालक का जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उचित रूप से संस्कार और प्रशिक्षण दिया जाए। वह शिक्षा प्राप्त करे, मनुष्य और भौतिक संसार का ज्ञान अर्जित करे तथा ऐसे वातावरण में विकसित हो कि जब वह परिपक्व आयु में पहुँचे, तो वह एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बने ऐसा व्यक्ति जो समाज की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. नवाबुद्दीन विरुद्ध उत्तराखंड राज्य (दाण्डिक अपील क्रमांक 144/2022) के प्रकरण में, दिनाँक 8.2.2022 को पारित निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "10. उपरोक्त प्रयोजनों को विचार में रखते हुए और बालकों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 व 39 के अधीन किए गए प्रावधानों को प्राप्त करने हेतु, पॉक्सो अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया गया है। बालकों के विरुद्ध लैंगिक हमले या लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बालकों पर लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए तथा पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए। लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य के अनुरूप उपयुक्त दंड देकर समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य प्रयोजन हेतु बालकों के उपयोग का अपराध करता है, तो उसे उपयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा और उसके प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जाएगी। बालकों पर लैंगिक हमले या लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण विकृत कामवासना के उदाहरण हैं, जहाँ ऐसी अधम लैंगिक सुख की खोज में निर्दोष बालकों को भी नहीं बख्शा जाता है।
>
> बालक हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन्हीं पर टिकी है। किंतु दुर्भाग्यवश, हमारे देश में बालिका अत्यंत असुरक्षित स्थिति में है। उसके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें लैंगिक हमला और/या लैंगिक शोषण शामिल है। हमारी दृष्टि में, बालकों का इस प्रकार शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है। इसलिए, बालक और विशेष रूप से बालिका पूर्ण संरक्षण की पात्र है और उन्हें अधिक देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य विरुद्ध ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745** के प्रकरण में अवधारित और निर्धारित किया गया है, बालकों को विशेष देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है और ऐसे प्रकरणों में, इन बालकों को उचित विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक कठोर है। **निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703** के प्रकरण में, इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित गया है कि जिस अवयस्क के साथ लैंगिक शोषण हुआ है, उसे एक वयस्क पीड़ित की तुलना में और भी अधिक संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वयस्क पीड़ित वयस्क होने के नाते समाज द्वारा किए गए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम हो सकता है, किंतु एक अवयस्क पीड़ित के लिए ऐसा करना कठिन होगा। अवयस्क पीड़ितों के खिलाफ अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट तक नहीं की जाती है क्योंकि अक्सर, अपराध करने वाला पीड़ित के परिवार का सदस्य या करीबी मित्र होता है। इसलिए, बालक को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः, ऐसे अभियुक्त के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती जिसने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध कारित किया है और विशेष रूप से तब जब न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा अपराध साबित हो चुका हो।"

26. जब किसी लैंगिक अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्यों पर विचार किया जाता है, तो न्यायालय आवश्यक रूप से घटना के पूर्णतः सटीक विवरण की मांग नहीं करता है। इसके बजाय, इस बात पर बल दिया जाता है कि पीड़िता को उसकी स्मरण के आधार पर घटना का उसका विवरण देने की स्वीकृति दी जाए, जहाँ तक उसके लिए स्मरण रखना युक्तियुक्त रूप से संभव हो। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय तथा संदेह से परे मानता है, तो उस संस्करण के समर्थन में अतिरिक्त संपुष्टि पर सामान्यतः कोई विशेष बल नहीं दिया जाता। **हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध श्रीकांत शेखर (2004) 8 एससीसी 153** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. यह सुस्थापित है कि बलात्संग के अपराध की शिकार शिकायतकर्ता अभियोक्त्री अपराध के बाद कोई सह–अपराधी नहीं होती है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि महत्वपूर्ण विवरणों में उसकी संपुष्टि न हो जाए। वह एक आहत साक्षी की तुलना में उच्च पायदान पर होती है। पश्चातवर्ती प्रकरण में चोट केवल शारीरिक स्वरूप पर होती है, जबकि पूर्ववर्ती प्रकरण में चोट शारीरिक होने के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। तथापि, यदि न्यायालय तथ्यों के आधार पर अभियोक्त्री के विवरण को उसके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार करना कठिन पाता है, तो वह ऐसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जो उसकी साक्ष्य को संबल या आश्वासन प्रदान करे। आश्वासन, जो कि सह–अपराधी के संदर्भ में समझी जाने वाली संपुष्टि से कम स्तर का हो, पर्याप्त होगा।"

27. इन्हीं तर्कों के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिवशरणप्पा व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य, (2013) 5 एससीसी 705** के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"17. अतः, विधि में यह सुस्थापित है कि न्यायालय एक बाल साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब ले सकता है और यदि वह विश्वसनीय एवं सत्य हो तथा अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्यों द्वारा उसकी पुष्टि होती हो, तो वह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से इसकी संपुष्टि देखना वांछनीय समझता है। वे सिद्धांत जो किसी साक्षी के एकल कथन का अवलंब लेने के लिए लागू होते हैं अर्थात् यह कि कथन सत्य और उचित है तथा गुणवत्तापूर्ण है और उसे केवल संपुष्टि के अभाव के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता एक ऐसे बाल साक्षी पर भी लागू होते हैं जो सक्षम है और जिसका विवरण विश्वसनीय है।"

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध सोनू कुशवाहा, (2023) 7 एससीसी 475** के प्रकरण के कण्डिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. पॉक्सो अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए कठोरतम दण्ड पारित करने हेतु अधिनियमित किया गया था और यही कारण है कि बालकों पर विभिन्न श्रेणियों के लैंगिक हमलों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 व 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। अतः, धारा 6 अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और न्यूनतम दण्ड देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान"...से कम नहीं होगी" शब्दावली का उपयोग करता है, तो न्यायालय उस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते और न्यूनतम दण्ड नहीं दे सकते। न्यायालय ऐसा करने के लिए शक्तिहीन हैं, जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न्यायालय को न्यूनतम दण्ड देने के लिए सक्षम न बनाता हो। हालाँकि, हमें पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दण्ड भुगतने के उपरांत जीवन में आगे बढ़ गया होगा, उसके प्रति कोई उदारता दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तथ्य के अतिरिक्त कि विधि न्यूनतम दण्ड का प्रावधान करती है, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध अत्यंत भीषण है जो बहुत कठोर दंड की मांग करता है। पीड़ित/बालक के मन पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। यह प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए बाध्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय

को अपास्त करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।"

29. दोनों पीड़ितों, अर्थात् अ.सा.–3 और अ.सा.–9 के कथनों पर विचार करते हुए, जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनके शिक्षक रहे अपीलार्थी द्वारा उनका लैंगिक उत्पीड़न किया गया था, और चूंकि उनके परिसाक्ष्यों की संपुष्टि एक अन्य अवयस्क छात्रा अ.सा.–1 द्वारा भी की गई है, जिसने यह भी कहा था कि उसकी सहेलियों अ.सा.–3 और अ.सा.–9 का अपीलार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किया गया था, अ.सा.–3 और अ.सा.–9 के साक्ष्य उत्कृष्ट साक्षी की श्रेणी में आते हैं। उनके परिसाक्ष्य को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों द्वारा उच्च प्राधिकारियों से की गई शिकायत के आधार पर, खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रतिभा मंडलोई (अ.सा.–15) का कथन भी विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें अभिभावकों और विद्यालय के कर्मचारियों से सूचना मिली थी कि अपीलार्थी ने दो अवयस्क पीड़ितों का लैंगिक उत्पीड़न किया था। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री और उपरोक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा सुविचारित अभिमत यह है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 (दो बार) के अधीन अपराध कारित करने हेतु उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। मुझे विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. फलस्वरुप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है। वर्तमान दाण्डिक अपील सारहीन है एवं तदनुसार **खारिज** की जाती है।

31. अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त कारावास का दण्ड पूर्व ही भुगत चुका है एवं उसपर अधिरोपित अर्थदंड की राशि भी जमा कर दी गई है।

32. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि, अभिलेख सहित, संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

सही/–

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधिपति

शीर्ष टिप्पण

शिक्षक विश्वास एवं उत्तरदायित्व के पद पर होता है। किसी अवयस्क छात्र के साथ कोई भी लैंगिक, अपमानजनक या शोषणकारी कृत्य न केवल व्यवसायिक कदाचार है, बल्कि पॉक्सो अधिनियम के अधीन एक गंभीर दंडनीय अपराध है, क्योंकि यह बाल शोषण की श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur